

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 45 / 11

संस्थापन दिनांक:-25 / 02 / 11

फाईलिंग नं. 233504000062011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. मधु पिता सुखलाल, उम्र 22 वर्ष
 2. रूपसिंह पिता गेन्द्रसिंह, उम्र 35 वर्ष
 3. बुद्धू पिता पांडू, उम्र 50 वर्ष
 4. मानसिंह पिता मातादीन, उम्र 36 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम अम्बाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.01.2011 को शाम 06:30 बजे के बीच फरियादी नंदकिशोर के खेत का कुंआ ग्राम अम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के खेत के कुंए की पानी की मोटर पनडुब्बी तीन एच.पी. एवं 90 फिट वायर, 90 फिट पाईप को बेईमानीपूर्वक फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी नंदकिशोर ने दिनांक 09.01.2011 को थाना आमला में आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 08.01.2011 को उसने शाम 06:30 बजे तक उसके खेत में सिंचाई की जिसके बाद वह मोटर बंद करके उसके घर चला गया। फिर पुनः आठ बजे वह सिंचाई करने खेत आया तो उसने देखा कि उसके कुंए में पानी की मोटर नहीं थी तथा मोटर में लगा करीब 90 फिट वायर तथा 50 फिट पाईप भी नहीं था। फरियादी द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्र. 5/11 में धारा 379 भा.दं.वि. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी नंदकिशोर से चोरी गयी एक सी.आर.आई. ओपन वैल पानी की तीन हार्स पावर की मोटर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। मोटर की शिनाख्ती की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाये

गये। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.01.2011 को शाम 06:30 बजे के बीच फरियादी नंदकिशोर के खेत का कुंआ ग्राम अम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी के खेत के कुंए की पानी की मोटर पनडुब्बी तीन एच.पी. एवं 90 फिट वायर, 90 फिट पाईप बेईमानीपूर्वक फरियादी के आधिपत्य से हटाकर चोरी की ?
2. क्या प्रकरण में जप्तशुदा पनडुब्बी मोटर फरियादी नंदकिशोर के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा छोड़कर चले जाने पर फरियादी के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर बताये गये स्थान से बरामद हुई ?
3. क्या बरामद पनडुब्बी मोटर वही है जो कि घटना दिनांक, समय व स्थान को फरियादी नंदकिशोर के आधिपत्य से चोरी हुई थी ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 नंदकिशोर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि उसके अंबाड़ा स्थित खेत के कुंए से पंडुब्बी मोटर, पाईप केबल चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में लेख कराई थी जो कि (प्रदर्श प्री-1) है। सुभाष सोलंकी (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया कि उसका खेत फरियादी नंदकिशोर के खेत से लगा हुआ है। उसे नंदकिशोर ने यह बताया था कि उसके खेत से पानी की मोटर चोरी हो गयी है। कोमल (अ.सा.-7) ने यह प्रकट किया है कि उसे फरियादी नंदकिशोर ने यह बताया था कि उसके खेत के कुंए में लगी तीन हार्स पावर की पानी की मोटर कोई चुराकर ले गया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से फरियादी नंदकिशोर के आधिपत्य से पानी की मोटर चोरी हो जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

6 नंदकिशोर (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के लगभग 20 दिनों बाद अभियुक्त मधु, मानसिंह, बुद्धू और रूपसिंह उसकी मोटर लेकर भाग रहे थे और जैसे ही उसने देखा तो अभियुक्तगण मोटर छोड़कर भाग गये। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त रूपसिंह को माफ कर दिया था तथा अभियुक्तगण द्वारा मोटर छोड़े जाने की सूचना पुलिस को दिया था तब पुलिस मौके पर आयी थी और मोटर को जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया था। कोमल (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसने यह नहीं देखा था कि कुंए से कौन मोटर चुराकर ले गया था परंतु बाद में गांव के सरपंच और कोटवार ने राधेश्याम के खेत पर मोटर पड़ी होना बताया था। मुझे वहां पर साथ ले गये थे फिर इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी थी। रामदयाल (अ.सा.-9) ने यह प्रकट किया है कि मोटर नंदकिशोर के घर पर पड़ी थी और उसे नंदकिशोर ने ही यह बताया था कि उसकी मोटर मिल गयी है।

7 एस.आर. यादव (अ.सा.-6) ने दिनांक 10.01.2011 को पुलिस चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 6/11 की केस डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान दिनांक 11.12.2011 को फरियादी नंदकिशोर के द्वारा बताये जाने पर ग्राम अंबाड़ा में रायमुनिया की झाड़ी में रखी एक पनडुब्बी मुन्नालाल एवं अशोक के समक्ष जप्त कर (प्रदर्श प्री-3) का जप्ती पत्रक तैयार किया था। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया गया था और अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-10 तैयार किये गये थे।

8 मुन्नालाल (अ.सा.-11) ने जो कि जप्ती का साक्षी है उसने यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष एक मोटर पनडुब्बी फरियादी रामकिशोर को वापस की गयी थी इसके अतिरिक्त उसे प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा इसी बात के संबंध में जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर उसके हस्ताक्षर हैं। अशोक (अ.सा.-4) ने अपने समक्ष फरियादी नंदकिशोर से पानी की मोटर जप्त न होना प्रकट करते हुए जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

9 फरियादी नंदकिशोर ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के लगभग 20 दिन बाद उसे अभियुक्तगण उसके खेत की मोटर ले जाते हुए दिखे और जैसे ही उसने देखा तो अभियुक्तगण वहीं पर मोटर छोड़कर चले गये। फरियादी के द्वारा ऐसा कोई स्थान नहीं बताया गया जहां पर अभियुक्तगण ने मोटर छोड़ी हो। कोमल (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि उसे सरपंच और कोटवार ने घटना के बाद यह बताया था कि राधेश्याम के खेत पर मोटर पड़ी है। जबकि विवेचक साक्षी एस.आर. यादव (अ.सा.-6) ने ग्राम अंबाड़ा में रायमुनिया की झाड़ी में से एक

पनडुब्बी मोटर जप्त करना बताया है। सुभाष सोलंकी (अ.सा.-2) एवं मलखू उर्फ मलखान (अ.सा.-3) ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य न्यायालय में प्रकट न करते हुए अभियुक्तगण को मोटर ले जाते हुए न देखना बताया है।

10 जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है, जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235** अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी एस.आर. यादव (अ.सा.-6) तथा जप्ती के साक्षी मुन्नालाल (अ.सा.-11), अशोक (अ.सा.-4), फरियादी नंदकिशोर (अ.सा.-1), कोमल (अ.सा.-7) के कथनों में मोटर जप्त किये जाने के स्थान के संबंध में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी नंदकिशोर (अ.सा.-1) के द्वारा मोटर, वायर एवं पाईप की चोरी के संबंध में भी रिपोर्ट लेख करायी गयी थी जिसके संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि फरियादी नंदकिशोर के आधिपत्य से जो मोटर चोरी हुई थी वही मोटर फरियादी के समक्ष अभियुक्तगण के द्वारा छोड़कर चले जाने उपरांत बरामद हुई।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

11 नंदकिशोर (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि मोटर की पहचान सरपंच के द्वारा करवायी गयी थी तथा उसने मोटर को सही पहचाना था। साक्षी के अनुसार शिनाख्ती पंचनामा (प्रदर्श प्री-4) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। गंगोत्रीबाई (अ.सा.-5) ने घटना दिनांक को ग्राम पंचायत अंबाड़ा के सरपंच के पद पर पदस्थ होते हुए फरियादी नंदकिशोर (अ.सा.-1) से मोटर पम्प की पहचान कार्यवाही की जाना बताया है। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि फरियादी के द्वारा पहचान कार्यवाही में मोटर को सही-सही पहचान लिया गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब वह पहचान कार्यवाही के लिए पंचायत भवन पहुंची थी वहां पर पहले से मोटर थी तथा शिनाख्ती पंचनामा (प्रदर्श प्री-4) पर वहां पर उपस्थित पुलिस ने लिखापढ़ी कर ली गयी थी और मात्र उसके हस्ताक्षर एवं सील लगाने को कहा गया था। इश्टेयाक (अ.सा.-10) ने दिनांक 11.02.2011 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए पानी की पनडुब्बी मोटर शिनाख्ती हेतु सरपंच गंगोत्रीबाई को दिया जाना प्रकट किया है।

12 शिनाख्ती कार्यवाही के साक्षी मिठ्ठू माथनकर (अ.सा.-8) एवं रामदयाल (अ.सा.-9) ने अपने समक्ष मोटर की पहचान कार्यवाही से इनकार किया है परंतु उक्त साक्षीगण ने शिनाख्ती प्रपत्र (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उन्होंने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। शिनाख्तीकर्ता गंगोत्री (अ.सा.-5) एवं फरियादी नंदकिशोर जिसके द्वारा शिनाख्ती की गयी है, के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि चोरी गयी पानी की मोटर को अन्य मोटर के साथ मिलाया गया हो तत्पश्चात शिनाख्ती की कार्यवाही की गयी हो। उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से शिनाख्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप

से यह नहीं कहा जा सकता कि जिस मोटर पनडुब्बी की जप्ती हुई वह वही मोटर है जो कि फरियादी के आधिपत्य से चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के खेत के कुएं की पानी की मोटर पनडुब्बी तीन एच.पी. एवं 90 फिट वायर, 90 फिट पाईप फरियादी के आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। फलतः अभियुक्तगण मधु, रूपसिंह, बुद्ध एवं मानसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 प्रकरण में जप्तशुदा सी.आर.आई. ओपन वेल पानी की तीन हार्स पावर की मोटर नंदकिशोर पिता हरीराम किराड़ निवासी अम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)